राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1045/2009/उदयपुर.

मैसर्स जी.आर. अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लिमिटेड,
27, महाराणा प्रताप कॉलोनी, सेक्टर–13, उदयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 7/आरएसटी/2009–10/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005–06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(6) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2005–06 का कर निर्धारण करते समय यह पाया गया कि व्यवहारी द्वारा उस वर्ष में संविदा कार्य के रूप में अधिकांश कार्य सड़क निर्माण एवं ब्रिज के निर्माण का किया गया है, जिसके लिये गिट्टी, पत्थर, रेती व ब्रिज के लिये आयरन स्टील जैसी वस्तुओं की अनिवार्य आवश्यकता होती है परन्तु इन आईटम्स से सम्बन्धित कोई बिल नहीं पाये जाने पर यह टिप्पणी करते हुए कि अपीलार्थी ने ऐसे माल की खरीद अपंजीकृत व्यवहारियों से की है अतः अनुमानित राशि रूपये 4,00,000/– की अपंजीकृत खरीद मानकर उस पर कर आरोपित किया गया था जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम ज्ञान से एवं समुचित आधार पर करारोपण किया जाना मानकर आरोपित कर यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है।

लगातार.............2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को यह मौका दिया जाना चाहिये था कि उनके पास में गिट्टी, पत्थर, रेती एवं आयरन स्टील की खरीद सम्बन्धी बिल उपलब्ध थे अथवा नहीं अतः बिना किसी सुनवाई के अवसर के अनुमानित खरीद मानकर करारोपण किया जाना अनुचित है। उक्त तर्क को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सड़क निर्माण कार्य हेतु मूल रूप से आवश्यक वस्तु गिट्टी, पत्थर, रेती बाईंडिंग मैटेरियल तथा ब्रिज निर्माण के लिये आयरन स्टील आदि की खरीद सम्बन्धी बिल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करें तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण आदेश में जिन वस्तुओं के बिलों के अभाव में कर आरोपित किया गया है यदि उनके बिल पाये जाते हैं तो उतनी राशि की कमी करते हुए पुनः करारोपण करें, परन्तु यदि अपीलार्थी द्वारा ऐसे बिल कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तब कर निर्धारण आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

5. उक्त निर्देशों के साथ जांच हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

6. निर्णय सुनाया गया।

16/1/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य